राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: निस/प्रशास/चिस्वा/2020/

जयपुर, दिनांक: 02/09/2020

परिपत्र

विषयः– कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रभावी COVID-19 प्रबन्धन के क्रम में।

यद्यपि COVID-19 का प्रभाव प्रमुख रूप से जिला मुख्यालयों एवं अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों में अधिक है, कतिपय स्थानों पर समय के साथ इसका प्रभाव कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिगत हो रहा है। ऐसी स्थिति में कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रभावी Strategy बनाकर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उक्त क्रम में जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी–

1. समस्त उपखण्ड़/ब्लॉक स्तरीय CHC में COVID-19 के प्रबन्धन हेतु OPD, Oxygen की व्यवस्था, Testing की सुविधा एवं Referral Transport की सतत् उपलब्धता आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाये। इस कार्य हेतु–

(A) **COVID-19 OPD** – समस्त उपखण्ड़/ब्लॉक स्तरीय CHC पर COVID-19 Suspected (ILI Symptoms एवं Vulnerable ग्रुप के मरीजों) के लिए एक पृथक कक्ष में OPD की व्यवस्था की जाए। इस कक्ष में Trained Medical Officers एवं Paramedical Staff के साथ COVID-19 Testing की Sampling की समुचित व्यवस्था की जाए।

(B) उक्त OPD में आने वाले Suspected Patients की स्क्रीनिंग Pulse Oximeter एवं Thermal Scanner इत्यादि के माध्यम से करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार उनका Home Isolation अथवा संस्थागत Quarantine, Testing करने के साथ ही सुनिश्चित किया जाये।

(C) **Oxygen की व्यवस्था**– ऐसे मरीजों की Respiratory Difficulty में होने की स्थिति में उन्हें संबंधित COVID Care Hospital तक पहुँचाने से पूर्व (अथवा Transit के दौरान) Oxygen उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन CHC पर Oxygen Cylinder की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

(D) ब्लॉक/उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तरीय CHC पर चिन्हित COVID-19 Suspected Patients को आवश्यकतानुसार त्वरित रूप से District COVID-19 Hospital पहुँचाने के लिए सतत् रूप से Referral Transport (MMU अथवा 104 Ambulance) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2. कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रवार स्क्रीनिंग हेतु 3–3 आशा/ANM/आँगनबाड़ी के आवश्यकतानुसार दल गठित किये जाये (लगभग 5 पंचायतो पर एक दल का गठन किये जाना अपेक्षित है।) इसी दल में Random Sampling Collection हेतु 2–3 Trained Nursing कर्मी भी शामिल किये जायेंगे। इस प्रकार उक्त दल को वाहन, Pulse Oximeter एवं Sample लेने हतु VTM इत्यादि उपलब्ध करवा कर ग्रामीण क्षेत्रों/कस्बों में भी शहरों की भांति सतत् स्क्रीनिंग किया जाना आवश्यक है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की Screening दल की आशा को ही भविष्य में, निर्धारित Incentive देय होगा। जिला कलक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर पर क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को देखते हुए जिला स्तर पर लिये जा रहे Samples में से एक निर्धारित संख्या कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आंवटित की जायेगी।

3. उपरोक्त बिन्दुओं के अनुरूप कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु की जाने वाली कार्यवाही की Training एवं सतत् समीक्षा हेतु जिला कलक्टर एवं CM&HO द्वारा ब्लॉक स्तर तक की Video Conferencing आवश्यकतानुसार किन्तु प्रत्येक Fortnight आवश्यक रूप से की जायेगी।

4. क्षेत्र विशेष में COVID–19 के मरीज ज्ञात होने पर COVID-19 का Spared रोकने के लिए प्रभावी Contentment /Quarantine की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों एवं कस्बों में COVID–19 से संबंधित प्रभावी प्रबन्धन के लिए जिला कलक्टर Emergency COVID Response Fund के Untied/Mobility/Establishment And Operation मद में उनको उपलब्ध कराये गये बजट का भी प्रयोग कर सकेंगे।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय / मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. निजी / रक्षित पत्रावली।

(अनिल कौशिक)
शासन उप सचिव